न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर, जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी :–श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या –20/2026

प्रार्थी

1.रामचन्द्र पुत्र पूरणाराम उर्फ पूर्णराम उम्र वर्ष , जाति जाट, निवासी रोडीनाडी, चाडी, तहसील रामसर , जिला बाडमेंर।

विप्रार्थीगण

1. तहसीलदार रामसर,
2.पनीदेवी पत्नी लुम्बाराम
3.अर्जुनराम पुत्र पूर्णाराम
4. लुम्बाराम पुत्र पूर्णाराम
5.कालूराम पुत्र चुतराराम
6.गंगाराम पुत्र मालाराम
7.गेनाराम पुत्र शेराराम
8.जुजाराम पुत्र जुगताराम
9.जोगाराम पुत्र चुतराराम
10.टीकम पुत्र शेराराम
11.बाबू पुत्र चुतराराम
12.मगना पुत्र शेराराम
13.रामचन्द्र पुत्र जुगता
14.रामाराम पुत्र मालाराम
15.सरूपा पुत्र चुतराराम
16.सायबी पत्नी मालाराम
17.सोनाराम पुत्र शेराराम
18.हरलाल पुत्र जुगताराम, जातियान जाट, निवासीयान रोडीनाडी, चाडी, तहसील रामसर , जिला बाडमेंर।

उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला-बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0भू0राज0अधिनियम 1956 वास्ते राजस्व अभिलेख जमांबदी में अंकन व हिस्सा दुरस्ती करवाने बाबत्।

उपस्थित :–

1. श्री महेन्द्रसिंह सोढा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

राजस्व आवेदन संख्या –20/2026 –::**आदेश**:: दिनांक :– 13.05.2026

संक्षेप में आवेदन पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि–––

कि प्रार्थी एंव विप्रार्थी संख्या 2 से 18 एक ही सयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य रहे है एवं प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं 3 से 18 के सयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की खातेदारी भूमि मौजा रोडी नाडी , पटवार हल्का चाडी , तहसील रामसर के खेत खसरा नम्बर 291 रकबा 0. 4856 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 539/291 रकबा 4.5406 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 544/291 रकबा 4.5487 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम की अवस्थित है। कि प्रार्थी रामचन्द्र एवं विप्रार्थी संख्या 3 अर्जुनराम व विप्रार्थी संख्या 4 लुम्बाराम एक ही परिवार के सदस्य है तथा आपस में सगे भाई है जो पूर्णाराम के विधिक वारिशान है। कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 539/291 व 544/291 प्रार्थी एंव विप्रार्थी संख्या 3 व 4 के हक–हिस्से व सयुक्त स्वामित्व की भूमि है। साथ ही, खसरा [illegible] प्रार्थी एंव विप्रार्थी 3 से 18 के सयुक्त स्वामित्व की भूमि है जिस पर प्रार्थी एंव [illegible] का अपने हक हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार स्वामित्व व आधिपत्य चला आ रहा है। कि वादग्रस्त आराजी मूल खसरा नम्बर 291 [illegible] 2071 से 74 में प्रार्थी [illegible] सहहिस्सेदारो की सयुक्त खातेदारी के रूप राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। तत्समय [illegible] खसरे में प्रार्थी रामचन्द्र का एकल रूप से 1/2 वां हक–हिस्सा निहित था इसके अलावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.05.21 16:42:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रामसर

Scanned with OKEN Scanner

के दो भाई अर्थात विप्रार्थी संख्या 3 व 4 अर्जुनराम व लुम्बाराम का सयुक्त रूप से 2 हिस्सा निहित है।

मूल खसरा नम्बर 291 का सहमति से बंटवाडा कर बंटवाडे के जरिये नामन्तरकरण संख्या 113 स्वीकृत दिनांक 18.05.2015 के जरिये वादग्रस्त आराजी मूल खसरा नम्बर 291 के अलग–अलग टुकडे होकर नवीन खसरा नम्बर 291 , 539/291, 541/291, 542/291, व 544/291 संधारित किये गये। कि उक्त नवीन खसरो के संधारण के साथ ही प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि के नवीन खसरा नम्बर 539/291 व 544/291 व खसरा नम्बर 291 में निहित हो गई।

कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी रामचन्द्र के नाम राजस्व रिकोर्ड में 1/2 हक–हिस्सा निहित था। किन्तु राजस्व अधिकारियो ने सहमति बंटवाडा के नामान्तरकरण संख्या 113 का इन्द्राज करते समय राजस्व रिकोर्ड में भारी भूल करते हुए खसरा नम्बर 539/291 व 544/291 में प्रार्थी रामचन्द्र के नाम बतोर खातेदारी के रूप में 1/2 हक हिस्से को कम करते हुए उसके स्थान पर 1/4 दर्ज कर दिया तथा प्रार्थी रामचन्द्र के 1/4 हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में गलत रूप से बिना विधिक अधिकार के विप्रार्थी संख्या 2 पनीदेवी का नाम खातेदार के रूप में इन्द्राज कर उसके नाम 1/4 हिसा भी दर्ज कर दिया। इसके अलावा खसरा नम्बर 291 में भी प्रार्थी रामचन्द्र के हिस्से को कम करते हुए आधे हिस्से की भूमि को पनीदेवी के नाम दर्ज कर दी। जबकि प्रार्थी रामचन्द्र ने वादग्रस्त आराजी में अपने हक हिस्से की भूमि में से कभी भी पनीदेवी को कोई बेचान या अन्तरण नही किया। किन्तु इसके उपरान्त भी राजस्व अधिकारियो ने बिना किसी वैध अधिकार के भूल के चलते पनीदेवी का नाम बतोर खातेदार के रूप में इन्द्राज कर दिया।

कि प्रार्थी रामचन्द्र ने उक्त हक हिस्से की पूर्व में जानकारी नही थी। किन्तु प्रार्थी रामचन्द्र ने पूर्व मे अपने हक हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में जमाबंदी की नकले हल्का पटवारी से प्राप्त की। तब हल्का पटवारी के जरिये गलत हिस्से राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज होने के तथ्यो की प्रार्थी को जानकारी हुई। जिस पर प्रार्थी ने राजस्व रिकोर्ड की नकले प्राप्त कर प्रार्थी के नाम गलत दर्ज हिस्से की दुरूस्ती करने व पनीदेवी का नाम राजस्व रिकोर्ड से हटाने हेतु व दुरूस्ती करने हेतु जिसे तरमीम दुरस्त करनें के लिये जरिये प्रार्थी वकील श्री महेन्द्र सिह सोढा द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्तें लटठा ट्रेस में तरमीम दुरस्त हेतु वाद इस न्यायालय में दिनांक 28.01.2026 को प्रस्तुत किया गया। जिसे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जारिये नोटिस तलब किया गया। जिसे न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 20/2026 वाद दायर रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी कर के संबध में इस न्यायलय के पत्रांक /कोर्ट/2026/96 दिनांक 20.02.2026 द्वारा तहसीलदार रामसर से मौका रिर्पोट चाही गई जो तहसीलदार रामसर के क्रमांक राजस्व कोर्ट/2026/1416 दिनांक 12.05.2026 की रिर्पोट दिनांक 13.05.2026 को अनुशंषा सहित इस न्यायालय में प्राप्त हुई तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिर्पोट सलग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा रोडी नाडी , पटवार हल्का चाडी , तहसील रामसर के खेत खसरा नम्बर 291 रकबा 0.4856 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 539/291 रकबा 4.5406 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 544/291 रकबा 4.5487 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि में सेग्रीग्रेशन के समय ऑफलाईन से ऑनलाईन करते समय गलत हिस्से दर्ज हो गई जिसे खारिज कर वर्तमान प्रार्थी के कब्जे काश्त अनुसार पूर्व में दर्ज राजस्व रेकर्ड जमांबदी में दुरस्ती करनें के आदेश दिये जाते है।संलग्न प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ठ 'ब' इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। उक्त पत्रावली में अंकित खसरों में इस न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली राजस्व वाद संख्या 02/2022 बअनवान पन्नाराम वगैरा बनाम खियाराम वगैराह में ताफैसला स्थगन है उसका निर्णय होनें के बाद प्रभावी होगा।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2026 को मेरे द्वारा सुनाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे ईजलाश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.05.21 16:42:29 IST
Reason: SelfAttested

(राम लाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर

उपखण्ड अधिकारी
रामसर

Scanned with OKEN Scanner